शिक्षकों के लिए शैलेश मटियानी पुरस्कारः—प्रक्रिया एवं मानक

शिक्षकों हेतु राज्य पुरस्कार प्रदान करने के लिए कार्यक्रम

	कार्य का नाम	समय/दिनांक
1.	राज्य स्तर पर पुरस्कार हेतु निर्देश	15 मई
2.	शिक्षकों द्वारा आवेदन की अन्तिम तिथि (विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में आवेदन पत्र जमा करने की तिथि)	10 जुलाई
3.	जनपद स्तर पर आवेदन जमा करने की तिथि	20 जुलाई
4.	जनपद स्तरीय समिति की बैठक	25 जुलाई
5.	जनपद स्तर पर जॉच एवं निरीक्षण कार्य	10 अगस्त तक
6.	मण्डल स्तर पर आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि	16 अगस्त
7.	मण्डल स्तर से स्थलीय निरीक्षण/भौतिक सत्यापन कार्य	05 सितम्बर तक
8.	मण्डल द्वारा राज्य स्तर पर आवेदन पत्र जमा करने की तिथि	10 सितम्बर
9.	राज्य स्तर पर प्रस्तुतीकरण/ परीक्षण कार्य	20 सितम्बर
10.	निदेशालय द्वारा प्रस्तावों का शासन को प्रेषण	25 सितम्बर
11.	राज्य पुरस्कारों की घोषणा	25 अक्टूबर
12.	पुरस्कार वितरण	09 नवम्बर

प्रस्तावना–

शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार शिक्षकों को दिया जाने वाला पुरस्कार है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया,विद्यालयों में संसाधन विकास,छात्रहित में किये जाने वाले अभिनव क्रियाकलापों,सामुदायिक सहभागिता में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करने, समग्र रूप में कर्तव्यनिष्ठ शिक्षक की भूमिका निर्वहन करने तथा समाज के मध्य आदर्श शिक्षक का कार्य करने वाले शिक्षकों ,प्रधानाध्यापकों तथा प्रधानाचार्यों को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय नयी शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप शिक्षकों को समाज में सम्मानपूर्ण गरिमामयी स्थान प्रदान करने में यह पुरस्कार अत्यन्त प्रभावी होंगे।
अद्यतन पुरस्कारों की संख्या निम्नवत् है।

- **माध्यमिक स्तर के संस्थाध्यक्ष/शिक्षक–13 पुरस्कार।**
- **प्रारम्भिक स्तर के प्रधानाध्यापक/शिक्षक–13 पुरस्कार।**
- **संस्कृत विद्यालयों के संस्थाध्यक्ष/शिक्षक–02 पुरस्कार।**
- **शिक्षक प्रशिक्षक–01 पुरस्कार।**

शिक्षकों को पुरस्कार–

1. शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने, छात्रों की शैक्षिक गुणवत्ता में अभिबृद्धि,सामुदायिक सहभागिता,शैक्षिक नवाचारों को विद्यालयों में लागू करने तथा समाज में आदर्श शिक्षक की भूमिका का निर्वहन करने वाले शिक्षकों को राज्य सरकार के द्वारा शैलेश मटियानी राज्य उत्कृष्ट पुरस्कार प्रदान किये जाते है। प्रतिवर्ष शिक्षकों से शैलेश मटियानी राज्य पुरस्कार हेतु आवेदन पत्र आमंन्त्रित किये जाते हैं। वर्तमान समय में आवश्यकता के अनुरूप पुरस्कार प्रदान किये जाने हेतु कुछ पूर्व निर्धारित मानकों में परिवर्तन किया जा रहा है। नवीन मानकों को सम्मिलित करते हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन निम्नवत् किये जा रहे है।
2. शिक्षको को निर्धारित प्रारूप पर आवेदन करना होगा। यह प्रारूप विद्यालयी शिक्षा निदेशालय की वेवसाइट पर उपलब्ध होगा । बिना निर्धारित प्रारूप पर आवेदन करने पर विकास खण्ड स्तर से ही आवेदन पत्र निरस्त किया जाएगा।
3. प्रत्येक शिक्षक आवेदन पत्र में दी गई प्रत्येक गतिविधि के सापेक्ष अपनी उपलब्धि प्रस्तुत करेंगे। किसी क्षेत्र मे उपलब्धि न होने पर X चिन्ह लगायेंगें। शिक्षकों की उपलब्धि का सत्यापन प्रधानाचार्य करेंगे व प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक/प्रभारी संस्थाध्यक्षों की दशा में गतिविधियों का सत्यापन खण्ड शिक्षा अधिकारी करेंगे।
4. माध्यमिक शिक्षकों के आवेदन करने की स्थिति में संबंधित शिक्षक के द्वारा अपने द्वारा किये गये कार्यो का विवरण एवं अभिलेखीय साक्ष्य सहित प्रस्तुत किया जायेगा। जिसे संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक के द्वारा विधिवत जॉच के उपरान्त समस्त अभिलेखों का

सत्यापित कर खण्ड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय को प्रेषित किया जाएगा। खण्ड शिक्षा अधिकारी आवश्यकतानुसार संबंधित विद्यालय में जाकर साक्ष्यों को पुनः परीक्षण कर अंको की अंकना कर प्रस्ताव मुख्य शिक्षा अधिकारी को प्रेषित करेंगे।

5. विकास खण्ड स्तर से माध्यमिक एवं प्रारम्भिक स्तर के मात्र उन्हीं शिक्षकों के प्रकरण भेजे जांय जिनमें विकास खण्ड स्तरीय समिति के द्वारा अंक प्रदान किये जाने से पूर्व शिक्षकों को कम से कम 60 अंक प्राप्त हुए हों।
6. प्रारम्भिक स्तर पर शिक्षकों के द्वारा आवेदन पत्र में दी गई प्रत्येक गतिविधि के सापेक्ष अपनी उपलब्धि प्रस्तुत करेंगे। किसी क्षेत्र में उपलब्धि न होने पर X चिन्ह लगायें। शिक्षकों की उपलब्धि का सत्यापन प्रधानाध्यापक तथा प्रधानाध्यापक के समस्त उपलब्धियों/अभिलेखों का सत्यापन उप शिक्षा अधिकारी करेगे, शिक्षक द्वारा विद्यालय के प्रधानाध्यापक से अग्रसारित करवाने के उपरान्त ही आवेदन पत्र उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय को प्रेषित करेंगे। तथा विकास खण्ड में प्राप्त सभी आवेदनो की विधिवत जॉच करने के उपरान्त साक्ष्यों के आधार पर सही अंकना करने के उपरान्त अंको की गणना कर प्रकरण मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराएगे।
7. मुख्य शिक्षा अधिकारी ब्लाक स्तर से प्राप्त संस्तुति के उपरान्त प्रकरण की जॉच व मूल्यॉकन/आकलन करने के उपरान्त जनपद स्तर पर प्राप्त प्रकरणों को जनपदीय समिति की संस्तुति के उपरान्त प्रकरण मण्डलीय समिति को प्रस्तुत करेंगे।
8. मण्डल स्तर पर सभी प्रकरणों की व्यापक जॉच की जानी है। मण्डलीय समिति एक पुनरावलोकन समिति (Review Committee) भी है। वे सभी प्रकरणों की जॉच अपने स्तर से कराते हुए साक्ष्यो के आधार पर अंक प्रदान करेगे। आवश्यकता पडने पर प्रकरणों का पुनरावलोकन भी करेंगे।
9. मण्डलीय समिति प्रत्येक आवेदन पर निर्धारित अंक प्रदान करेगी तथा निर्धारित प्रमाण पत्र हस्ताक्षर करने के उपरान्त शासनादेश संख्या–457/XXIV–4/2021–10(14)10 दिनांक 08 जुलाई 2021 एवं यथा संशोधित शासनादेश संख्या–723/XXIV–4/21/10(14)2010 दिनांक 13 जुलाई 2021 के अनुसार निर्धारित संख्या में प्रकरण राज्य समिति को सन्दर्भित करेंगे।

शैलेश मटियानी पुरस्कार हेतु प्रथम् जॉच अधिकारी–

- *माध्यमिक शिक्षकों के प्रस्ताव पर प्रथम् जॉच प्रधानाचार्य संबंधित विद्यालय।*
- *प्रारम्भिक स्तरीय शिक्षक/प्रधानाध्यापक के प्रस्ताव प्रथम् जॉच संबंधित विकास खण्ड के उप शिक्षा अधिकारी ।*
- *माध्यमिक स्तरीय प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक के प्रस्ताव पर प्रथम् जॉच संबंधित विकास खण्ड के खण्ड शिक्षा अधिकारी ।*

माध्यमिक शिक्षकों/प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्यों हेतु शैलेश मटियानी पुरस्कार के लिये आवेदन पत्र

शिक्षक/ प्रधानाचार्य का नाम–

विद्यालय का नाम– विकास खण्ड–

जनपद– मण्डल का नाम–

पद– पोर्टल आईडी0–

सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि– सेवानिबृत्त की तिथि–

जन्मतिथि– कुल सेवा अवधि–

1. क- विगत तीन वर्षो में परिषदीय परीक्षा का परीक्षाफलः– अधिकतम अंक–39

वर्ष	विषय का नाम	पंजीकृत छात्र	सम्मिलित छात्र	उत्तीर्ण छात्र	उत्तीर्ण प्रतिशत	उत्तीर्ण प्रतिश/ 100X5	60 प्रतिशत से 75 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्र/परीक्षा में सम्मिलित छात्र संख्या X 6	75 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र/परीक्षा में सम्मिलित छात्र संख्या X 8	प्रत्येक वर्ष में अधिकतम अंक–13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
1									
2									
3									

प्रधानाचार्य /प्रधानाध्यापक के सम्बन्ध में अंको की गणना निर्देश पत्र के बिन्दु एक के अुनसार की जायेगी।

ख– व्यायाम शिक्षकों के आवेदन करने की स्थिति मेंः–

विगत तीन वर्षों का मूल्यांकन–खेल तथा तद्सम्बन्धी गितिविधियों में छात्रों की प्रतिभागिता– अधिकतम अंक–39

वर्ष		जनपद स्तर–05			राज्य स्तर–09			राष्ट्रीय स्तर–11			अर्न्तराष्ट्रीय स्तर–13			
	खेल का नाम	विद्यालय की कुल छात्र संख्या	प्रतिभागियों की संख्या	अर्जित अंक	खेल का नाम	प्रतिभागियों की संख्या	अर्जित अंक	खेल का नाम	प्रतिभागियों की संख्या	अर्जित अंक	खेल का नाम	प्रतिभागियों की संख्या	अर्जित अंक	प्रत्येक वर्ष में अधिकतम – 13 अंक
1														
2														
3														

नोट– अध्यापक द्वारा विभिन्न खेल गतिविधियों मे उच्चतम् स्तर पर प्रतिभागिता की ही अंकना /गणना की जायेगी। तथा अंको की गणना दिशानिदेशों के बिन्दु एक के अनुसार की जायेगी।

2. पत्र पत्रिकाओं में विगत तीन वर्षो म्रें प्रकाशित लेख – **अधिकतम अंक–03**

क्र.स.	लेख का नाम	पत्रिका का नाम	ISBN/ISSN
1			
2			
3			

3. विगत तीन वर्षो में छात्र संख्या में बृद्धि का विवरणः– अधिकतम अंक–03 (प्रति वर्ष के लिए एक अंक)

विवरण	तीन वर्ष पूर्व की छात्र संख्या वर्ष.....	वर्ष ------	वर्ष ------	वर्ष ------
छात्र संख्या				

4. समुदाय की सहभागिता से विगत तीन वर्षो में विद्यालय के उन्नयन हेतु किये गये कार्यः–

क- **भौतिक संसाधन** **कुल 04अंक**

क्र.स.	**भौतिक संसाधन का विवरण का विवरण जो समुदाय द्वारा शिक्षक के प्रयास से विद्यालय में किये गये हो।**	
1	कक्षा–कक्ष/शौचालय आदि निर्माण	
2	भवन मरम्मत/चाहरदीवारी निर्माण	

ख- शैक्षणिक संसाधन **कुल अंक– 04**

शैक्षणिक संसाधनों का विवरण जिनकी आपूर्ति विद्यालयों में शिक्षक के समुदाय के द्वारा शिक्षक के प्रयास से हुई है।	
कम्प्यूटर/एल.सी.डी. प्रोजेक्टर/लाइब्रेरी (न्यूनतम 50 पुस्तकें से अधिक)	
खेल सामग्री/पाठयसामग्री उपकरण/सांस्कृतिक उपकरण एवं साज–सज्जा सामग्री,	

5. शिक्षक द्वारा शैक्षिक उन्नयन के क्षेत्र में किये गये नवीन प्रयोग **कुल 05 अंक**

क्र.स.	**नवाचार/नवीन प्रयोग का विवरण**	**लाभान्वित छात्र संख्या**	**शिक्षण अधिगम पर प्रभाव**
1	प्रतिभा दिवस/विभिन्न राष्ट्रीय दिवस का प्रभावी आयोजन		
2	छात्रों के Doubt, विषयगत समस्या समाधान		
3	कक्षा की तैयारी हेतु पूर्व संबोधों का प्रभावी शिक्षण(मिशन कोशिश)		
4	विद्यालय में अपने विषय से संबंधी नवाचारी शिक्षण हेतु कृत क्रियाकलाप		

5	सुधारात्मक शिक्षण		

6. शिक्षक द्वारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में ICT का उपयोग– **अधिकतम अंक–06**

क्र.सं.	गतिविधि	लाभान्वित छात्र संख्या
1.	Development and use of PPT/ e-content material	
2.	You Tube Channel पर विषय सामग्री की उपलब्धता	
3.	Online Teaching through Apps	
4.	DIKSHA पर सामग्री अपलोड	
5.	PM Vidhya /SwyamPrabha/GYan Deep आदि चैनल का शिक्षण हेतु उपयोग	
6.	Use of E Pathshala Material	

7. विगत 03 वर्षो में छात्र–छात्राओं की राज्य एवं राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिताओं/छात्रवृति परीक्षाओं में उपलब्धिः– अधिकतम अंक–06 (एक वर्ष हेतु 02 अंक)

वर्ष	प्रतियोगिता का नाम	छात्र–छात्रा का नाम	जनपद स्तर	राज्य स्तर	राष्ट्रीय स्तर

नोट–उच्चतम स्तर के अंक देय होगे।

8. विगत 03 वर्षो की विद्यालय में उपस्थितिः– अधिकतम 03 अंक (उपस्थिति 90% से अधिक होने पर ही प्रतिवर्ष 01 अंक दिया जायेगा)

वर्ष	I	II	III
वर्ष मे कुल कार्यदिवस			
वर्ष में विद्यालय में वास्तविक उपस्थिति (विभागीय प्रशिक्षण, पुस्तक लेखन, प्रशिक्षक तथा निर्वाचन कार्यो के रुप में किये गये कार्य को कार्यदिवस उपस्थिति में जोडा जाय।)			
उपस्थिति प्रतिशत			

9. पाठ्येत्तर क्रियाकलापों में विगत तीन वर्षो में जनपद/राज्य/राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभागिताः–

अधिकतम अंक –09

क्र.स.	क्रियाकलापों का विवरण	जनपद स्तरीय प्रतियोगिता (अधिकतम 01 अंक)	राज्य स्तरीय प्रतियोगिता (अधिकतम 02 अंक)	राष्ट्र स्तरीय प्रतियोगिता (अधिकतम 03 अंक)
1	सांस्कृतिक/साहित्यिक इत्यादि			
2	स्काउट गाइड्स/रेडक्रास/ NSS/ NCC			
3.	विज्ञान महोत्सव/विज्ञान प्रदर्शनी इत्यादि			

नोट–उच्चतम् स्तर के अंक देय होगे।

10. राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर पाठ्य पुस्तक लेखन/प्रशिक्षण सामग्री विकास में विगत 03 वर्षो में सहभागिताः–

अधिकतम–03 अंक

क्र.स.	कार्यशाला का नाम	संस्थान का नाम	वर्ष (अवधि सहित)	पुस्तक/माड्यूल का नाम
1				
2				
3				

11. जनपदीय समिति द्वारा मूल्यांकनः– (अधिकतम 05 अंक)

जनपद समिति मूल्यांकन के अंक निर्धारण हेतु आख्या ——— प्राप्त अंक–

_____

_____

_____

12. मण्डलीय समिति द्वारा मूल्यांकनः– (अधिकतम 05 अंक)

मण्डलीय समिति मूल्यांकन के अंक निर्धारण हेतु आख्या ——— प्राप्त अंक–

_____

_____

_____

13. राज्य स्तरीय समिति द्वारा शिक्षक के प्रस्तुतीकरण के आधार पर मूल्यांकनः–अधिकतम 05 अंक।

आवेदन पत्र में प्रस्तुत विवरण एवं सत्यापन के उपरान्त विभिन्न समितियों के सत्यापान के उपरान्त प्रदत्त अंक

क.स.	अंकना शीर्षक का नाम	खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा परीक्षण/गतिविधि के सापेक्ष प्राप्त अंको का सत्यापन	जनपदीय समिति द्वारा प्रस्तुत गतिविधि/परीक्षण के सापेक्ष अंको का सत्यापन	मण्डलीय समिति की संस्तुति
1	विगत तीन वर्षो में परिषदीय परीक्षा का परीक्षाफलः–			
2	पत्र पत्रिकाओं में विगत तीन वर्षो म्रें प्रकाशित लेख			
3	विगत तीन वर्षो में छात्र संख्या में बृद्धि का विवरणः			
4	समुदाय की सहभागिता से विगत तीन वर्षो में विद्यालय के उन्नयन हेतु किये गये कार्यः– संसाधन विकास-I) **भौतिक संसाधन** संसाधन विकास-**II) शैक्षणिक संसाधन**			
5	शिक्षक द्वारा शैक्षिक उन्नयन के क्षेत्र में किये गये नवीन प्रयोग			
6	शिक्षक द्वारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में ICT का उपयोग–			
7	विगत 03 वर्षो में छात्र–छात्राओं की राज्य एवं राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिताओं/छात्रवृति परीक्षाओं में उपलब्धिः–			
8	विगत 03 वर्षो की विद्यालय में उपस्थितिः–			
9	पाठ्येत्तर क्रियाकलापों में विगत तीन वर्षो में जनपद/राज्य/राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभागिता			
10	राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर पाठ्य पुस्तक लेखन/प्रशिक्षण सामग्री विकास में विगत 03 वर्षो में सहभागिता			
11	**जनपद समिति मूल्यांकन के अंक**			
12	**मण्डलीय समिति मूल्यांकन के अंक**			
13	**राज्य स्तरीय समिति द्वारा शिक्षक के प्रस्तुतीकरण के आधार पर मूल्यांकन**			

संकलित अंकना– राज्य स्तरीय समिति द्वारा अकित की जाय।

विन्दु संख्या	शीर्षक	कुल अंक	मण्डलीय समिति के अनुसार संस्तुत अंक
क.स.1	विगत तीन वर्षो में परिषदीय परीक्षा का परीक्षाफलः–	39	
क.स.2	पत्र पत्रिकाओं में विगत तीन वर्षो में प्रकाशित लेख	03	
क.स.3	विगत तीन वर्षो में छात्र संख्या में बृद्धि का विवरणः	03	
क.स.4	समुदाय की सहभागिता से विगत तीन वर्षो में विद्यालय के उन्नयन हेतु किये गये कार्यः–		
क.स.4 क	संसाधन विकास-I) **भौतिक संसाधन**	04	
क.स.4ख	संसाधन विकास-**II) शैक्षणिक संसाधन**	04	
क.स.5	शिक्षक द्वारा शैक्षिक उन्नयन के क्षेत्र में किये गये नवीन प्रयोग	05	
क.स.6	शिक्षक द्वारा शिक्षण अधिगम प्रकिया में ICT का उपयोग–	06	
क.स.7	विगत 03 वर्षो में छात्र–छात्राओं की राज्य एवं राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिताओं/छात्रवृति परीक्षाओं में उपलब्धिः–	06	
क.स.8	विगत 03 वर्षो की विद्यालय में उपस्थितिः–	03	
क.स.9	पाठ्येत्तर क्रियाकलापों में विगत तीन वर्षो में जनपद/राज्य/राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभागिता	09	
क.स.10	राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर पाठ्य पुस्तक लेखन/प्रशिक्षण सामग्री विकास में विगत 03 वर्षो में सहभागिता	03	
	योग	85	
क.स.11	**जनपद समिति मूल्यांकन के अंक**	05	
क.स.12	**मण्डलीय समिति मूल्यांकन के अंक**	05	
	योग	95	
क.स.13	**राज्य स्तरीय समिति द्वारा शिक्षक के प्रस्तुतीकरण के आधार पर मूल्यांकन**	05	
कुल अंक		100	

राज्यस्तरीय समिति के सदस्यो का नाम व हस्ताक्षर

1. 2. 3. 4.

प्रारूप पर अंक प्रदान करने हेतु दिशा निर्देश

क.स.–1. विगत तीन वर्षो में परिषदीय परीक्षा का परीक्षाफलः–

माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाचार्यो/प्रधानाध्यापकों तथा शिक्षकों के लिए उनके विद्यालय/विषय का परीक्षाफल अत्यन्त महत्वपूर्ण है। किसी भी प्रक्रिया में आकलन हेतु परिषदीय परीक्षाफल को आधार बनाया जाना वर्तमान समय की आवश्यकता है। अतः शिक्षक पुरस्कार प्रदान किये जाने हेतु शिक्षकों के परीक्षाफल को 39 अंकों का अधिभार प्रदान किया जा रहा है। सामान्यतः विद्यालय,शिक्षक के स्वयं की अथवा अन्य प्रशासनिक व प्रबंधकीय व्यवस्था के कारण एक वर्ष में किसी शिक्षक या प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य का परीक्षाफल कम या अधिक हो सकता है। अतः परीक्षाफल में वस्तुनिष्ठता प्रदान के दृष्टिगत तीन वर्ष के परीक्षाफल को आधार बनाया गया है। यदि किसी अध्यापक के द्वारा हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट दोनो कक्षाओं या अन्य कक्षाओं में शिक्षण कार्य किया जा रहा हो तो स्वयं के विषय की परीक्षाफल का ही अंकना करेंगें प्रधानाचार्य के सन्दर्भ मे परिषदीय परीक्षा में अध्यापित विषय को आधार बनाया जायेगा,परन्तु यदि परिषदीय परीक्षा विषय का अध्यापन नहीं कर रहे हो तो हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट के सम्पूर्ण परीक्षाफल का औसत को आधार माना जायेगा। हाईस्कूल प्रधानाध्यापक के सन्दर्भ में हाईस्कूल के 3 वर्ष के परिषदीय परीक्षा के परीक्षाफल अथवा परिषदीय परीक्षा में अध्यापित विषय के परीक्षाफल की अंकना की जायेगी। अध्यापकों का परीक्षाफल प्रधानाचार्य द्वारा एवं प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक का परीक्षाफल खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायेगा।

व्यायाम अध्यापकों द्वारा खेल की विभिन्न गतिविधियों में जनपद, राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर छात्र–छात्राओं की प्रतिभागिता एवं चयन को प्रदर्शित करते हुए अंकों की अंकना की जायेगी। जिसे प्रधानाचार्य द्वारा सत्यापित किया जायेगा। **अंक का निर्धारण निम्नानुसार किया जायेगा –**

		जनपद स्तर पर अंक	**राज्य स्तर पर अंक**
1	प्रतिभागिता	01	03
2	05 प्रतिशत छात्रों की प्रतिभागिता अथवा जनपद स्तर पर तृतीय स्थान पर	02	04
3	किन्हीं दो खेलों में तृतीय स्थान अथवा किसी एक खेल में द्वितीय स्थान पर	03	05
4	किन्ही दो खेलों में द्वितीय स्थान या किसी एक खेल में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर	04	07
5	किन्हीं दो खेलों में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर	05	09

		राष्ट्रीय स्तर पर अंक	**अन्तराष्ट्रीय स्तर पर अंक**
1	प्रतिभागिता पर	–	11
2	तृतीय स्थान प्राप्त करने पर	09	13
3	द्वितीय स्थान प्राप्त करने पर	10	,,
4	प्रथम स्थान प्राप्त करने पर	11	,,

परन्तु प्रतियोगिता में उच्चतम स्तर के अंक ही देय होगे।

2. पत्र पत्रिकाओं में विगत तीन वर्षो म्रें प्रकाशित लेख – **अधिकतम अंक–03**

पत्र पत्रिकाओं में लेख प्रकाशित करना शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य है। अधिकांशतः शिक्षकों के द्वारा कक्षा–कक्ष प्रकिया से संबंधित विभिन्न प्रकार के शोध,कियात्मक शोध किये जाते रहते है। कुछ शिक्षकों के द्वारा अपने विषय से संबंधित लेख पत्रिकाओं में प्रकाशित किये जाते है। शिक्षकों का यह कार्य अत्यन्त सराहनीय है और इसे प्रोत्साहित करने हेतु शिक्षक पुरस्कार हेतु तीन अंक प्रदान किये जा रहे है। किन्तु यह अंक तभी प्रदान किये जायेगे यदि आवेदक का लेख **ISSN, ISBN** पत्रिकाओं में प्रकाशित हुआ हो।

3. विगत तीन वर्षो में छात्र संख्या में बृद्धि– **अधिकतम अंक–03 (प्रति वर्ष एक अंक)**

विद्यालयों में छात्रों की पर्याप्त संख्या होनी अत्यन्त आवश्यक है। प्रायः यह देखा जा रहा है कि सरकारी विद्यालयों में प्रतिवर्ष छात्रों की संख्या घट रही है। छात्रों के यह घटती संख्या अत्यन्त चिन्ता का कारण है। कक्षा–कक्ष प्रकिया में विभिन्न प्रकार के अभिनव प्रयासों से शिक्षक छात्र संख्या में समुचित बृद्धि कर सकते है। यदि किसी शिक्षक द्वारा पढाए गये विषय में शिक्षक के प्रयस से छात्रों की संख्या में कोई बृद्धि होती है तो साक्ष्य के आधार पर उन्हे प्रतिवर्ष छात्र संख्या में बृद्धि होने पर उन्हे एक अंक प्रदान किया जाएगा।

4.समुदाय की सहभागिता से विगत तीन वर्षो में विद्यालय के उन्नयन हेतु किये गये कार्यः– अंक

विद्यालयों में सामुदायिक सहभागिता का प्रमुख स्थान है। सामुदायिक सहभागिता के द्वारा शिक्षक विद्यालयों के संसाधन विकास,शैक्षिक संप्राप्ति बृद्धि तथा विद्यालयों के नियोजन तथा प्रबंधन में उल्लेखनीय कियाकलाप कर सकते है। आवेदक शिक्षक के प्रयास से सामुदायिक सहभागिता के अन्तर्गत भौतिक तथा शैक्षिणिक संसाधनों के विकास हेतु निम्नवत् कार्य किये जाने पर तदनुसार अंक प्रदान किये जाएगे।

4क. भौतिक संसाधन– भवन निर्माण/मरम्मत, चाहरदीवारी, शौचालय,आदि कियाकलापों में यदि आवेदक शिक्षक के प्रयास से उल्लेखनीय कार्य हुआ हो तो उन्हे शिक्षक पुरस्कार हेतु 04 अंक प्रदान किये जाएगे।

4ख. शैक्षणिक संसाधन–विद्यालयों में कक्षा–कक्ष प्रकिया,सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन,विभिन्न प्रकार के दिवसों को मनाने तथा छात्र छात्राओं के संज्ञान सहगामी कियाकलापों के विकास हेतु विभिन्न प्रकार के शैक्षणिक उपकरणें तथा सामग्री की आवश्यकता होती है। कम्प्यूटर, लाइब्रेरी (न्यूनतम 50 पुस्तकें से अधिक),खेल सामग्री, प्रोजेक्टर, पाठयसामग्री,सांस्कृतिक उपकरण उपकरण आदि सामग्री यदि सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से आवेदक शिक्षक के प्रयास से विद्यालयों को उपलब्ध हुई हो तो शिक्षक का यह प्रयास अत्ययन्त सराहनीय है और उन्हे शिक्षक प्ररस्कार हेतु 04 अंक प्रदान किये जाएगे।

5. शिक्षक द्वारा शैक्षणिक क्षेत्र में किये गये नवीन प्रयोग – **कुल 05 अंक**

वर्तमान समय में छात्र–छात्राओं की विषयगत समस्याओं के साथ ही उनके बहु आयामी विकास की नितान्त आवश्यकता है। भाषायी,गणितीय,खेल,कला,संगीत के विकास हेतु विभिन्न प्रकार के आयोजन यथा प्रतिभा दिवस,छात्रों की विषयगत समस्याओं के समाधान हेतु समस्या समाधान दिवस का आयोजन,अंग्रेजी भाषा लिखने पढने तथा बोलने की दक्षता,कक्षा की तैयारी हेतु पूर्व कक्षा के संबोधों का स्पष्टीकरण तथा इस हेतु योजनाबद्ध शिक्षण,सुधारात्मक शिक्षण आदि के क्षेत्र में कार्य करने पर प्रत्येक विन्दु के लिए 01 एक अंक निर्धारित करते हुए प्रबल साक्ष्य के आधार पर 05 अंको मे से अंक प्रदान किये जाऐगे।

6. शिक्षक द्वारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में ICT का उपयोग– **कुल अंक–06**

वर्तमान समय सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का समय है। प्रायः यह देखा जा रहा है कि छात्र/छात्राए परम्परागत कक्षा–कक्ष के स्थान पर सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के माध्यम से अधिक प्रभावी ढंग से सीखते है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का महत्व अत्यन्त बढ गया है। वर्तमान समय में विभिन्न प्रकार के एप्प,पोर्टल उपलब्ध है जिन पर शिक्षकों के द्वारा शिक्षण सामग्री अपलोड की जा रही है। शिक्षक द्वारा ई.कन्टेट निर्माण, प्रस्तुतीकरण हेतु विषय आधारित पावर प्वाइंट, You Tube Channel पर विषय सामग्री की तैयार कर अपलोड करना,विभागीय पोर्टल पर विषय संबंधी सामग्री अपलोड करना,एप्प द्वारा शिक्षण कार्य,दीक्षा,पी.एम. ई.विद्या संबंधी प्लेटफार्मो पर समग्री अपलोड करने ,स्वयं तथा ज्ञानदीप के माध्यम से छात्रों को लाभन्वित करना, ई. पाठशाला का उपयोग करने पर आवेदक शिक्षक द्वारा साक्ष्यों के आधार पर आवेदक को 06 अंक प्रदान किये जाएगे।

7. विगत 03 वर्षो में छात्र–छात्राओं की राज्य एवं राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिताओं/छात्रवृति परीक्षाओं में उपलब्धिः– **अधिकतम अंक–06 (एक वर्ष हेतु 02 अंक)**

विद्यालयी शिक्षा के दौरान अथवा कक्षा 10 तथा 12 की परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त छात्र/छात्राए विभिन्न प्रकार की प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं में प्रतिभाग करते है। एन.डी.ए. ,इंजीनियरिंग,नीट,एन.टी.एस.ई. आदि की परीक्षाए इनमें प्रमुख है। साथ ही राज्य अथवा राष्ट्रीय स्तर की छात्रबृत्ति परीक्षा आदि में प्रतिभागिता के उपरान्त यदि आवेदक शिक्षक के प्रयास द्वारा छात्रों का चयन उक्त प्रकार की परीक्षाओं में हो जाता है तो इस हेतु प्रति वर्ष 02 अंक के अनुसार शिक्षको ंको अधिकतम 06 अंक प्रदान किये जाएगे।

8. विगत 03 वर्षो की विद्यालय में उपस्थितिः– **अधिकतम 03 अंक**

विद्यालयों मे शिक्षकों की उपस्थिति एक महत्वपूर्ण पहलू है। शिक्षकों की अधिकतम् उपस्थिति का छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि तथा विद्यालय वातावरण पर सकारात्मक प्रभाव पडता है अतः प्रति वर्ष 90 प्रतिशत उपस्थिति (विभागीय प्रशिक्षण, पुस्तक लेखन, प्रशिक्षक एवं अन्य विभागीय कार्यो के रुप में किये गये कार्य को कार्यदिवस उपस्थिति में जोडकर) प्रतिवर्ष 01 अंक की दर से अधिकतम 03 अंक पुरस्कार हेतु आवेदक शिक्षक को प्रदान किये जाएगे।

9. पाठ्येत्तर क्रियाकलापों में विगत तीन वर्षो में जनपद/राज्य/राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभागिताः–
अधिकतम अंक –09

विद्यालयों में विभिन्न प्रकार के पाठ्य सहगामी कियाकलापों का आयोजन होने से छात्रो ंके सज्ञान सहगामी पक्ष का विकास होता है। इस प्रकार के कियाकलाप छात्र/छात्राओं के भविष्य निर्माण तथा नैतिक मूल्यों के विकास हेतु भी आवश्यक होतें है। आवेदक शिक्षक के प्रयास से यदि स्काउट गाइड्स/रेडक्रास, सांस्कृतिक/साहित्यिक, NSS / NCC ,विज्ञान महोत्सव/विज्ञान प्रदर्शनी तथा अन्य गतिविधियों में विगत तीन वर्षो में छात्रों का जनपद स्तर पर प्रतिभाग हो तो प्रतिवर्ष 03 अंक,राज्य स्तरीय प्रतितभागिता पर 03 अंक तथा राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभागिता पर 03 अंक अधिकतम् 09 अंक प्रदान किये जाएगे।

10. राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर पाठ्य पुस्तक लेखन/प्रशिक्षण सामग्री विकास में विगत 03 वर्षो में सहभागिताः– **अधिकतम–03 अंक**

पाठ्य पुस्तक लेखन,प्रशिक्षण हेतु सामग्री विकास तथा प्रशिक्षक के रूप में उत्कृष्ट शिक्षकों का चयन किया जाता रहा है। यह कार्य अत्यन्त महत्वपूर्ण तथा सराहनीय है। इस कार्य को प्रोत्साहन प्रदान के उद्देश्य के दृष्टिगत शिक्षकों को प्रति वर्ष 01 अंक के आधार पर अधिकतम् तीन अंक प्रदान किये जाएगे।

11.जनपदीय तथा मण्डलीय समिति द्वारा मूल्यांकन–

शिक्षकों को शैलेश मटियानी पुरस्कार प्रदान करने में विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी से मण्डल स्तरीय विभागीय अधिकारियों की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है। जनपदीय तथा मण्डलीय समितियॉ प्रभावी ढंग आवेदक का मूल्यांकन करने के उपरान्त प्रत्येंक समिति आवेदक शिक्षक को पॉच–पॉच अंक प्रदाने करेंगी।

12.राज्य स्तरीय समिति द्वारा मूल्यांकन–

मण्डल से चयनित शिक्षको को राज्य स्तर पर पुरस्कार के लिए प्रत्येंक बिन्दु पर अपना पावर प्वाइंट प्रस्तुतीकरण करना होगा। तदनुसार समिति, प्रारूप पर प्रत्येक बिन्दु के अंक प्रदान करेगी और 05 अंकों में मूल्यांकन कर अंक प्रदान करेगी।

संलग्नक–1

प्रधानाचार्य द्वारा जॉच का प्रमाण प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि इस विद्यालय मे कार्यरत श्री/श्रीमती कु0..... ....प्रवक्ता/स.अ, विषय..... के द्वारा शैलेश मटियानी राज्य उत्कृष्ट शिक्षक पुरस्कार हेतु आवेदन किया गया है। मानको के अनुरूप इनके द्वारा किये गये आवेदन में प्रस्तुत सभी प्रमाणपत्रों तथा साक्ष्यों का मेरे द्वारा जॉच तथा सत्यापन कर दिया गया है। मेरी जानकारी के अनुसार इनके द्वारा विन्दुवार घोषित अंक जिन पर मेरे द्वारा जॉचोपरान्त संशोधन कर दिया गया है,तथा मेरी जानकारी के अनुसार सही है।

प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक
रा.इ.का./रा.उ.मा.वि.....
विकास खण्ड.....जनपद.....
.....

संलग्नक –2

उप शिक्षाधिकारी/खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा जॉच का प्रमाण प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती कु0.....प्रवक्ता/स.अ, विषय..... विद्यालय.....के द्वारा शैलेश मटियानी राज्य उत्कृष्ट शिक्षक पुरस्कार हेतु आवेदन किया गया है। मानको के अनुरूप इनके द्वारा किये गये आवेदन में प्रस्तुत सभी प्रमाणपत्रों तथा साक्ष्यों का मेरे द्वारा जॉच तथा सत्यापन कर दिया गया है। मेरी जानकारी के अनुसार इनके द्वारा बिन्दुवार घोषित अंक जिन पर मेरे द्वारा जॉचोपरान्त संशोधन कर दिया गया है,तथा मेरी जानकारी के अनुसार सही है।

खण्ड शिक्षा अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी
विकास खण्ड.....
जनपद.....

संलग्नक –3

जनपदीय समिति द्वारा जॉच का प्रमाण प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती कु0.....प्रवक्ता/स.अ, विषय..... विद्यालय.....विकास खण्ड..... के द्वारा शैलेश मटियानी राज्य उत्कृष्ट शिक्षक पुरस्कार हेतु आवेदन किया गया है। मानको के अनुरूप इनके द्वारा किये गये आवेदन में प्रस्तुत सभी प्रमाणपत्रों तथा साक्ष्यों का जनपदीय समिति द्वारा जॉच तथा सत्यापन कर दिया गया है। समिति के के अनुसार इनके द्वारा विन्दुवार घोषित अंक/खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा संशोधन के उपरान्त पुनः इस समिति द्वारा संशोधन कर दिया गया है।

समिति के सदस्यो के हस्ताक्षर

1 2 3

प्रतिहस्स्ताक्षरित
मुख्य शिक्षा अधिकारी
जनपद.....
उत्तराखण्ड

संलग्नक–4

मण्डलीय/पुनरावलोकन समिति द्वारा जॉच का प्रमाण प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती कु0.....प्रवक्ता/स.अ, विषय..... विद्यालय.....विकास खण्ड.....जनपद ..... के द्वारा शैलेश मटियानी राज्य उत्कृष्ट शिक्षक पुरस्कार हेतु आवेदन किया गया है। मानको के अनुरूप इनके द्वारा किये गये आवेदन में प्रस्तुत सभी प्रमाणपत्रों तथा साक्ष्यों का मण्डल स्तरीय समिति/पुनरावलोकन समिति द्वारा जॉच तथा सत्यापन कर दिया गया है। समिति के अनुसार इनके द्वारा बिन्दुवार घोषित अंक/जनपद स्तरीय समिति द्वारा संशोधन के उपरान्त पुनः इस समिति द्वारा पुनरावलोकन कर दिया गया है।

समिति के सदस्यो के हस्ताक्षर

1 2 3

प्रतिहस्ताक्षरित
अपर निदेशक मा0/प्रा0
गढवाल/कुमायू मण्डल उत्तराखण्ड

2. व्यायाम शिक्षकों के आवेदन करने की स्थिति में,

विगत तीन वर्षों का मूल्यांकन–खेल तथा तद्सम्बन्धी गितिविधियों में छात्रों की प्रतिभागिता– अधिकतम अंक–39

वर्ष	विद्यालय की छात्र संख्या	जनपद स्तर		राज्य स्तर		राष्ट्रीय स्तर/अर्न्तराष्ट्रीय स्तर		
		खेल के नाम	3 प्रतिशत छात्र प्रतिभाग करने पर 01 अंक 4 से 6 प्रतिशत	खेल	1 प्रतिशत छात्र प्रतिभाग करने पर 03 अंक 1से 2 प्रतिशत	खेल	प्रतिभागिता होने पर 5 अंक स्थान प्राप्त करने पर अधिकतम 8 अंक	प्रत्येक वर्ष में अधिकतम 13 अंक

			छात्र प्रतिभाग करने पर 2अंक 7 प्रतिशत से अधिक प्रतिभाग करने पर 3 अंक		छात्र प्रतिभाग करने पर 4 अंक 3 प्रतिशत से अधिक प्रतिभाग करने पर 05 अंक		अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग करने पर 10 अंक	
1								
2								
3								

3. पत्र पत्रिकाओं में विगत तीन वर्षो म्रें प्रकाशित लेख – **अधिकतम अंक–03**

क्र.स.	लेख का नाम	पत्रिका का नाम	ISBN/ISSN
1			
2			
3			

4. विगत तीन वर्षो में छात्र संख्या में बृद्धि का विवरणः– अधिकतम अंक–03 (प्रति वर्ष के लिए एक अंक)

विवरण	तीन वर्ष पूर्व की छात्र संख्या वर्ष.....	वर्ष ------	वर्ष ------	वर्ष ------
छात्र संख्या				

वर्ष	जनपद स्तर–05			राज्य स्तर–09			राष्ट्रीय स्तर–11			अर्न्तराष्ट्रीय स्तर–13			
	खेल का नाम	प्रतिभागियों की संख्या	अर्जित अंक	खेल का नाम	प्रतिभागियों की संख्या	अर्जित अंक	खेल का नाम	प्रतिभागियों की संख्या	अर्जित अंक	खेल का नाम	प्रतिभागियों की संख्या	अर्जित अंक	प्रत्येक वर्ष में अधिकतम – 13 अंक

1													
2													
3													

नोट– अध्यापक द्वारा विभिन्न खेल गतिविधियों मे उच्चतम् स्तर पर प्रतिभागिता की ही अंकना /गणना की जायेगी।

जनपद स्तर पर विभिन्न खेल गतिविधियों में प्रतिभाग करने पर अधिकतम 01 अंक व 04 से 06 प्रतिशत तक प्रतिभाग अथवा तृतीय स्थान प्राप्त करने पर 02 अंक, 06 प्रतिशत से अधिक प्रतिभाग अथवा द्वितीय स्थान प्राप्त करने पर 03 अंक, प्रथम स्थान प्राप्त 04 अंक, 02 या 02 से अधिक खेलों में तृतीय स्थान प्राप्त 03 अंक, द्वितीय स्थान प्राप्त–04 अंक, प्रथम स्थान प्राप्त कने पर 05 अंक प्रदान किये जायेगे। **राज्य स्तर पर** प्रतिभाग करने पर 03 अंक, तृतीय स्थान प्राप्त करने पर 06 अंक, द्वितीय स्थान प्राप्त करने पर 07 अंक, प्रथम स्थान प्राप्त करने 08 अंक, 02 या 02 से अधिक खेलों में तृतीय स्थान प्राप्त 07अंक, द्वितीय स्थान प्राप्त–08 अंक, प्रथम स्थान प्राप्त कने पर 09 अंक प्रदान किये जायेगे। **राष्ट्रीय स्तर पर** प्रतिभाग करने पर 07 अंक, 03 या 03 से अधिक खेलो में प्रतिभाग करने पर 08 अंक तृतीय स्थान प्राप्त करने पर 09 अंक, द्वितीय स्थान प्राप्त करने पर 10 अंक, प्रथम स्थान प्राप्त करने 11 अंक प्रदान किये जायेगं। **अन्तराष्ट्रीय स्तर पर** प्रतिभाग 11 अंक, तृतीय व द्वितीय स्थान प्राप्त करने पर 12 अंक प्रथम स्थान प्राप्त करने पर 13 अंक प्रदान किये जाऐंगे। अंको की गणना के समय इस बात का ध्यान रखा जाय कि वर्षवार उच्चतम स्तर पर प्रतिभाग अथवा उच्चतम अर्जित अंकों की ही गणना /अंकना की जायेगी।

जनपद स्तर पर प्रतिमागिता पर 01 अंक व 05 प्रतिशत छात्रों की प्रतिभागिता अथवा जनपद स्तर पर तृतीय स्थान पर 02 अंक, किन्हीं दो खेलों में तृतीय स्थान अथवा किसी एक खेल में द्वितीय स्थान पर 03 अंक, किन्ही दो खेलों में द्वितीय स्थान या किसी एक खेल में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर 04 अंक, किन्हीं दो खेलों में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर 05 अंक प्रदान किये जायेगे। **राज्य स्तर पर** प्रतिमागिता पर 03 अंक व 05 प्रतिशत छात्रों की प्रतिभागिता अथवा जनपद स्तर पर तृतीय स्थान पर 04 अंक, किन्हीं दो खेलों में तृतीय स्थान अथवा किसी एक खेल में द्वितीय स्थान पर 05 अंक, किन्ही दो खेलों में द्वितीय स्थान या किसी एक खेल में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर 07 अंक, किन्हीं दो खेलों में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर 09 अंक प्रदान किये जायेगे। **राष्ट्रीय स्तर पर** प्रतिगिता व तृतीय स्थान प्राप्त काने पर 09 अंक, द्वितीय स्थान प्राप्त करने पर 10 अंक, प्रथम स्थान प्राप्त करने 11 अंक प्रदान किये जायेगं। **अन्तराष्ट्रीय स्तर पर** प्रतिभागिता पर 11 अंक, तृतीय व द्वितीय तथा प्रथम स्थान प्राप्त करने पर 13 अंक प्रदान किये जाऐंगे। परन्तु प्रतियोगिता में उच्चतम स्तर के अंक ही देय होगे।

			जनपद स्तर पर अंक	राज्य स्तर पर अंक
1	प्रतिभागिता		01	03
2	05 प्रतिशत छात्रों की प्रतिभागिता अथवा जनपद स्तर पर तृतीय स्थान पर		02	04
3	किन्हीं दो खेलों में तृतीय स्थान अथवा किसी एक खेल में द्वितीय स्थान पर		03	05
4	किन्ही दो खेलों में द्वितीय स्थान या किसी एक खेल में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर		04	07
5	किन्हीं दो खेलों में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर		05	09
		राष्ट्रीय स्तर पर अंक	अन्तराष्ट्रीय स्तर पर अंक	
1	प्रतिभागिता पर	—	11	
2	तृतीय स्थान प्राप्त करने पर	09	13	
3	द्वितीय स्थान प्राप्त करने पर	10	,,	
4	प्रथम स्थान प्राप्त करने पर	11	,,	